न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री गजेन्द्र सिंह (आर.टी.एस)

मुकदमा नम्बरः– 97 / 2022 निर्णय दिनांक :–24.02.2023

सरकार बनाम श्री शंकरलाल पुत्र शिंभूराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :–24.02.2023

निर्णय

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का पौसाना तथा भू.अ. निरीक्षक रघुनाथपुरा द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि पटवार हल्का पौसाना के ग्राम बासड़ी में स्थित भूमि ख.न. 20 कुल रकबा 4.97 है0 किस्म बीहड़ में से 1.00 है0 सरकारी भूमि पर अप्रार्थी / अतिक्रमी श्री शंकरलाल पुत्र शिंभूराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी ने अनाधिकृत रूप से तारामीरा काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी / अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को अवैध फसल को कुर्क कर निलाम करने हेतु आदेश जारी किये गये। अप्रार्थी / अतिक्रमी द्वारा दिनांक 06.01.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । जवाब नोटिस निम्न प्रकार से हैः– यह प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नया अतिक्रमण नही किया है। उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी काश्त भूमि से सटाकर है तथा उक्त भूमि पर काफी मेहनत करके काश्त योग्य बनाया है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी काफी समय से ही काश्त कर रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य सबुत पैश नही किया गया । अतः अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के

फलस्वरूप अतिकमी घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भैतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

पटवार हल्का पौसाना को ग्राम बासड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 20 कुल रकबा 4.97 है0 किस्म बीहड़ में से 1.00 है0 भूमि. पर अप्रार्थी/अतिकमी श्री शंकरलाल पुत्र शिंभूराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है, साथ ही इस अनाधिकृत अतिकमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक शहर लगान 1.24/– रूपये का 50 गुणा यानि कुल 62/– रूपये (अक्षरे बासठ रूपये) बतौर जुर्माना अप्रार्थी/अतिकमी पर आरोपित किया जाता है। एवं फसल निलामी राशि 350/– रूपये राजकोष में जमा करवाने निर्णयानुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार एंव भू0अ0 निरीक्षक को लिखा जावें। भू0अ0 निरीक्षक रघुनाथपुरा को आदेशित किया जाता है अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली इस न्यायालय में पेश करें।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

वर्ष 2022-23 पृष्ठ 27

रुपये 62/–

कायमी की गई

राजस्व लेखाकार